संख्या - 005/वीजीएल/011
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 25.05.2015

परिपत्र सं - 08/05/15

विषय: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम - 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश - वर्ष 2013 की दण्डय अपील सं0 1838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय - सबंधी ।

संदर्भ: दिनांक 12.05.2005 का केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय आदेश सं0 31/5/05

दिनांक 28.03.2012 का केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र सं0 07/3/12

*****

आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/अन्य अन्वेषण एजेन्सियों से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति के अनुरोधों पर तत्काल एवं शीघ्रतापूर्वक निर्णय देने पर बल देता रहा है तथा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने अथवा ना करने के लिए विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ (एआईआर 1998 एससी 889) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तीन माह की समय सीमा का सख्ती से पालन करने पर भी बल देता रहा है । इन अनुदेशों तथा ऐसे लंबित मामलों की नियमित निगरानी के बावजूद; सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन स्वीकृति के अनुरोधों पर कार्रवाई करने में निरंतर गंभीर विलंब करने पर आयोग चिंतित है ।

2. पूर्व में, आयोग द्वारा दिनांक 12.05.2015 के अपने कार्यालय आदेश सं0 31/5/05 द्वारा स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश सभी सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में लाए गए थे । बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने डा0 सुब्रमनियन स्वामी बनाम डा0 मनमोहन सिंह एंव अन्य (2012 की सिविल अपील नं0 1193) के मामले में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का हवाला दिया तथा यह प्रेक्षित किया कि, ``उपर्युक्त दिशानिर्देश इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप हैं कि स्वीकृति प्रदान करने अथवा इंकार करने से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी को केवल इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता अथवा अन्वेषण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री, प्रथम दृष्टया: अपराध किए जाने को प्रकट करती है । सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेने के लिए एक विस्तृत जांच नहीं करवा सकते कि लोक सेवक के विरूद्ध लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं ।`` उसके बाद, आयोग ने दिनांक 28.03.2012 के परिपत्र सं0 07/03/12 द्वारा दिनांक 12.05.2005 के अपने दिशानिर्देशों को दोहराया तथा सभी संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को सलाह दी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा का पूरी भावना से पालन करें ।

3. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल के मामले में 2013 की दण्डय अपील सं0 1838 में, निर्णय के पैरा 7 में यह प्रेक्षित किया कि ``सक्षम प्राधिकारी का यह एक दायित्व है कि वह मामले के तथ्यों की पूर्ण जानकारी करने के बाद ही स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोकने के अपने कर्तव्य का निष्पादन करें । स्वीकृति प्रदान करना मात्र एक औपचारिकता नहीं है । अत:, स्वीकृति के संबंध में प्रावधानों का, लोकहित तथा दोषी जिसके विरूद्ध स्वीकृति मांगी गई है, को उपलब्ध संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूर्ण गंभीरता के साथ पालन किया जाना चाहिए । स्वीकृति,

अभियोजन की बाध्यता को हटाती है । अत:, यह कोई अप्रिय कार्य नहीं है अपितु एक महत्वपूर्ण तथा अलंघनीय कार्य है जो सरकारी सेवक को तुच्छ अभियोजन से संरक्षण देता है । इसके अतिरिक्त, कष्टप्रद अभियोजन को हतोत्साहित करने के लिए यह एक हथियार है तथा निर्दोष के लिए एक रक्षोपाय है, हालांकि दोषी के लिए यह एक ढाल नहीं है ।``

4. उपर्युक्त निर्णय के पैरा 8 में, न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर विचार करते समय पूरी सख्ती से पालन किए जाने वाले निम्न दिशानिर्देश जारी किए हैं:

क) अभियोजन पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रकटीकरण विवरणियों, साक्ष्यों के ब्यान, वसूली ज्ञापन, आरोप-पत्र का प्रारूप तथा अन्य सभी सम्बद्ध तथ्यों सहित सम्पूर्ण सम्बद्ध रिकार्ड स्वीकृति प्राधिकारी को अवश्य भेजें । भेजे गए रिकार्ड में तथ्य/दस्तावेज भी होने चाहिए, यदि कोई है जो सन्तुलन का झुकाव दोषी के पक्ष में कर सकते हैं तथा जिनके आधार पर, सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति देने से इंकार कर सकते हैं ।

ख) स्वीकृति देने अथवा रोकने के अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए स्वीकृति प्रदान करने से पहले प्राधिकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे रिकार्ड की स्वंय स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करके तथा सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करते हुए सम्पूर्ण एवं सचेत संवीक्षा करनी चाहिए ।

ग) स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग लोकहित तथा दोषी (जिसके विरूद्ध स्वीकृति मांगी गई है) को उपलब्ध संरक्षण को सख्ती से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ।

घ) स्वीकृति आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राधिकारी को सभी सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी थी तथा उन्होंने सभी सम्बद्ध तथ्यों के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग किया था ।

ङ) प्रत्येक मामले में, अभियोजन पक्ष को प्रधान साक्ष्य द्वारा न्यायालय को प्रमाणित एवं संतुष्ट करना होता है कि सम्पूर्ण सम्बद्ध तथ्यों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था तथा प्राधिकारी ने इस पर अपने विवेक का प्रयोग किया था तथा कानून के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

5. अत:, आयोग केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(च) के अंतर्गत अपने अधिकारों एवं कार्यों के अनुसरण में सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों को निदेश देता है कि अभियोजन स्वीकृति के अनुरोधों पर विचार तथा निर्णय करते समय, आयोग के दिनांक 12.05.2005 के परिपत्र सं0 31/5/05 के पैरा 2 (i) से (vii) में समाविष्ट दिशानिर्देशों तथा उपर्युक्त पैरा 4 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपालन के लिए निर्धारित हाल के सुस्पष्ट दिशानिर्देशों का पालन कर्तव्यनिष्ठता से करें । चूंकि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अपालन, अभियोजन स्वीकृति को निष्प्रभावी करता है अत:, सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी सख्ती से करें तथा वे किसी भी विचलन/अपालन तथा उन मुद्दों के लिए जिम्मेदार होंगे जो अभियोजन स्वीकृति के मामलों में परवर्ती चरण में उत्पन्न होकर स्वीकृति की वैधता पर प्रश्न करते हैं ।

ह0/-

(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव
मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/संगठनों/समितियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

i. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
ii. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोधी रोड, नई दिल्ली ।